

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 372/2014

बउनवान

जगदीश पुत्र लड्डूलाल जाति—मेहर निवासी ग्राम फतेहपुर
तहसील बारां, जिला—बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री योगेश गुर्जर, अभिभाषक
2. पेरोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 15.07.2019

अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—फतेहपुर, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 160/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजियात् के लगवां अपीलांट के खाते की आराजियात् स्थित है अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब किया है। प्रकरण में कब्जा बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान दर्ज नहीं किये गये हैं। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है तथा साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्गे सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर

अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 202/13 निर्णय दिनांक 04.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1856 रकबा 0.40 है0 ग्राम फतेहपुर पर पूर्व में मिसल नम्बर 202/13 निर्णय दिनांक 04.03.2013 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 709/14 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

